



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2009/फाल्गुन 21, 1930

No. 144]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2009/PHALGUNA 21, 1930

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2009

सा.का.नि. 163(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448(अ) तारीख 28 जून, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (1), (4) और (5) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) श्री के. डी. गुप्ता —अध्यक्ष

आई. आर. एस. (सेवानिवृत्त)
फ्लैट संख्या-104, रतन भवन,
7/108 ए, स्वरूप नगर
कानपुर-208 002

(4) श्रीमती उषा नारायणन, ई. डी. —सदस्य

भारत का प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)
मित्तल कोर्ट,
'ए' विंग, 224, नरीमन प्वाइंट,
मुम्बई-400 021

(5) श्री जितेश खोसला, ओ.एस.डी. —सदस्य”

भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान,
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली- 110 001 .

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/22/2006-आईजीसी-पीआई]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2009

G.S.R. 163(E).— In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby further makes the following amendments in the Notification of the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 448(E) dated 28th June, 2007.

2. In the said notification, for serial No. (1), (4) and (5) and entries thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(1) Shri K.D. Gupta, —Chairperson

IRS (Retd.)
Flat No. 104, Ratan Bhawan,
7/108 A, Swaroop Nagar,
Kanpur - 208 002.

(4) Smt. Usha Narayanan, ED —Member

Securities & Exchange
Board of India (SEBI)
Mittal Court,
“A” Wing, 224, Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

(5) Shri Jitesh Khosla, O.S.D. —Member”

Indian Institute of
Corporate Affairs,
Ministry of Corporate Affairs,
New Delhi - 110 001.

3. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/22/2006-IGC-PI]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.